रतन बेलदार आदि विरूद्ध डॉ बैजनाथ सिंह

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3131 –दो / 14 जिला – सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-9-14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता, स्थगन एवं अवधि के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार के 1–6–13 के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11–8–14 को अर्थात एक वर्ष से अधिक समय पश्चात पेश की गई है । निगरानी के साथ विलंब से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में यह कहा गया है कि उन्हें आलोच्य आदेश की जानकारी नहीं थी प्रकरण में नाम संयोहित होने के पश्चात तहसील न्यायालय से समंन आने पर आवेदकगण को जानकारी हुई । जानकारी किस दिनांक को हुई, इसका कोई उल्लेख आवेदन में नहीं है ना ही तहसील न्यायालय के किस प्रकरण में उनका नाम समायोजित हुआ हौर किस प्रकरण में सम्मन आया इसका कोई उल्लेख आवेदन में है । इसके अतिरिक्त अतहसीलदार ने 1–6–13 को जो आदेश पारित किया है उसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तराधिकारियों का नाम मृतक के स्थान पर अभ्लिलेख पर लाने के आदेश दिए हैं और प्रकरण में दिनांक 18–6–13 की तिथि नियत की है । 18–6–13 के उपरांत प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई इसको इस न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा नहीं बताया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों एवं आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, रा० मं० जिला रीवा (म0प्र0)

Rs 20/-

460
11.8.14

1- रतन बेलदार उम्र 55 वर्ष तनय श्री छोटेलाल बेलदार

2- कताहुर बेलदार उम्र 50 वर्ष तनय श्री छोटेलाल बेलदार

3- ठाकुर बेलदार उम्र 42 वर्ष तनय श्री छोटेलाल बेलदार

तीनो निवासी उतैली थाना कोलगवॉ जिला सतना (म0प्र0)..........निगराकार

श्री ... द्वारा आज दिनांक 11.08.14 को प्रस्तुत किया गया।

11.8.14

विरूद्ध

1- डा0 बेजनाथ सिंह कटियार तनय जे0एल0सिंह

2- केसरी सिंह तनय फतेह बहादुर सिंह

3- श्रीमती अनीस फात्मा पत्नि अब्दुल जब्बार सभी निवासी सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0)..............................गैर निगराकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू0रा0संहिता

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 01.06.13

न्यायालय तहसीलदार तहसील रघुराजनगर

जिला सतना म0प्र0

मान्यवर,

निम्नानुसार निगराकार / आवेदक यह निगरानी प्रस्तुत करते है -

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1- यह कि गैर निगराकार के द्वारा धारा 250 का एक आवेदन तहसीलदार के न्यायांलय में प्रस्तुत किया गया था जिसका विधिवत् निराकरण 07.09.94 को कर दिया गया उक्त प्रकरण पर तहसीलदार कानूनगोह से साठ गाठ करके फर्जी सीमांकन कराया गया था जिसकी जानकारी निगराकार को नहीं है और निगराकार के पिता कभी भी प्रकरण क्रमांक 20 अ 70 / 90-91 एवं 64 अ 70 99-2000 में कभी उपस्थित नहीं हुआ आवेदकगणों के द्वारा जो दावा दायर किया गया था उसमें न तो

//2//